

51

R 1233- IV/08

क.क. द्विवेदी - हलवाई
4-10-08

Grojan
4.10.08

रामसुख गुप्ता तनय दुलारे गुप्ता, उम्र 65 वर्ष
पेशा खेती निवासी ग्राम कर्तुआ तहसील
चितरंगी जिला सीधी (म.प्र.) आवेदक

विरुद्ध

(1) रामजी हलवाई तनय कन्हैयालाल हलवाई,
उम्र 70 वर्ष, व्यवसाय कृषि,
निवासी कर्तुआ तहसील चितरंगी जिला
सीधी (म.प्र.)

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सीधी

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक
822/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2008 के विरुद्ध
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

28.04.15

आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर उनके अभिभाषक उपस्थित थे। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 41 के अंतर्गत बनाये गये मण्डल की प्रक्रिया एवं प्रथा नियमों के नियम 31 के तहत प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

सदस्य